दिनांक -31 जुलाई, 2019

राष्ट्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण : वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)
टी- 95, दूसरा मंजिल, सी. एल. हाउस, गौतम नगर,
नई दिल्ली- 110 049
ईमेल- adr@adrindia.org;
दूरभाष - 011-4165 4200

प्रस्तावना

इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया (**आईसीऐआई**) द्वारा वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमों का लेखा पद्धति के लिए एक निर्धारित लेखांकन मानक बनाया है | राजनीतिक दल वाणिज्यिक, गैर- औद्योगिक और गैर- व्यापारिक इकाई के अंतर्गत आती हैं | इस प्रकार से, अन्य संस्थाओं के मानकों का लेखा स्वरूप राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होता है |

राजनीतिक दलों का लेखा पद्धति और ऑडिट रिपोर्ट में एकरूपता लाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया की वे एक प्रारूप तैयार करें | इस प्रकार, ईसीआई के अनुरोध पर आईसीएआई द्वारा फरवरी 2012 में " ***Guidance note on Accounting & Auditing of political parties*** " या " ***Accounting guidelines*** " तैयार किये गए थे | इस आदेश का उदेश्य राजनीतिक दलों के लेखांकन और लेखा पद्धति के मानकों में सुधार और उनके वित्तीय पारदर्शिता लाना था | इन दिशा-निर्देशों का सिद्धांत राजनीतिक दलों के आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की मान्यता, माप और वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण है |

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी पिछली रिपोर्ट (दिनांक 16 अक्टूबर, 2017) में सभी सातों राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण किया था यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2015-16 तक की थी |

इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 के बीच सात राष्ट्रीय दलों (बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बसपा, सीपीआई, सीपीएम और एआईटीसी) द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण किया गया है |

सारांश

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- ***'बैलेंस शीट' क्या है ?***

बैलेंस शीट में तीन मुख्य वित्तीय जानकारी होती है | **क**) दलों के संपत्ति में नकद, बैंक निवेश, गाडी, चल और अचल संपत्ति आदि ऐसे संसाधन होते हैं | **ख**) राजनीतिक दलों के कुल सम्पति से कुल देनदारियों को घटा कर जो शेष है वो कैपिटल या रिज़र्व फण्ड है तथा दल इस पूंजी को अन्य सम्पति या देनदारियों में उपयोग करते हैं | **ग**) राजनीतिक दलों के देनदारियों में बैंकों से ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, असुरक्षित ऋण आदि शामिल हैं |

- ***राजनीतिक दलों के संपत्ति और देनदारियों/ आय और व्यय में विशेषता क्या है?***

संस्थाओं की कार्यविधि और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानक बनाया गया है |राजनीतिक दलों की कोई व्यसायिक गतिविधि नहीं होती है, इसका उदेश्य केवल लेखा पद्धति को एकरूपता से बनाये रखना है | राजनीतिक दलों के कार्यविधि के अनुसार, लेखा पद्धति के शब्दावली में थोड़ा संशोधन जैसे लाभ और हानि की जगह आय और व्यय है |

- ***चुनाव आयोग की पारदर्शिता के दिशा निर्देश क्या हैं ?***

मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर क़ानूनी तौर पर गतिविधियों में कमी हो तो सविधान का **अनुच्छेद 324** चुनाव आयोग को पूर्ण सशक्त बनाता है | यह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (एआईआर 1978 एससी 851) के द्वारा स्थापित है | चुनाव आयोग ने 2014 में सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ परामर्श करके 'पारदर्शिता दिशानिर्देश' प्रचलित की जो इन दलों पर क़ानूनी तौर पर बाध्यकारी है | इन

दिशानिर्देश में चुनाव आयोग ने दलों को आईसीएआई के निर्देशों (जो फ़रवरी, 2012 में संचारित किये गए थे) का पालन करने की सलाह दी है |

पारदर्शिता दिशानिर्देश 2014 में सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ क़ानूनी परामर्श करके प्रचालित किये गए और यह बाध्यकारी हैं | इन दिशानिर्देशों में राजनीतिक दलों को वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए कठोरता से पालन करने की सलाह दी है | यह दिशा निर्देश आईसीएआई द्वारा फरवरी, 2012 से परिचालित है |

- ***इस रिपोर्ट में क्या जानकारी है?***

इस रिपोर्ट में वि व 2016-17 से 2017-18 के बीच सात राष्ट्रीय दलों (बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बसपा, सीपीआई, सीपीएम और एआईटीसी) द्वारा घोषित संपत्ति, देनदारियों और कैपिटल (पूंजी) का विश्लेषण किया गया है

राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित संपत्ति : वि व 2016-17 से 2017-18

- वि व 2016-17 के दौरान सात राष्ट्रीय दलों की **कुल औसत संपत्ति रु 465.83 करोड़** थी जो वि व 2017-18 तक बढ़कर **रु 493.81 करोड़** हो गई |
- वि व 2016-17 के दौरान **बीजेपी** की कुल संपत्ति **रु 1213.13 करोड़** थी जो वि व 2017-18 में **22.27%** बढ़कर **रु 1483.35 करोड़** हो गई |
- राष्ट्रीय दलों में से केवल **कांग्रेस** और **एनसीपी** के वार्षिक घोषित संपत्ति में कमी देखी गई है | **कांग्रेस** की संपत्ति वि व 2016-17 में **रु 854.75 करोड़** थी जो वि व 2017-18 में **15.26%** घटकर **रु 724.35 करोड़** हो गई और वही **एनसीपी** की संपत्ति वि व 2016-17 में **रु 11.41 करोड़** थी जो वि व 2017-18 में **16.39%** घटकर **रु 9.54 करोड़** हो गई |
- वि व 2016-17 के दौरान **तृणमूल कांग्रेस** की कुल संपत्ति **रु 26.25 करोड़** थी जो वि व 2017-18 में **10.86%** बढ़कर रु **29.10 करोड़** हो गई |

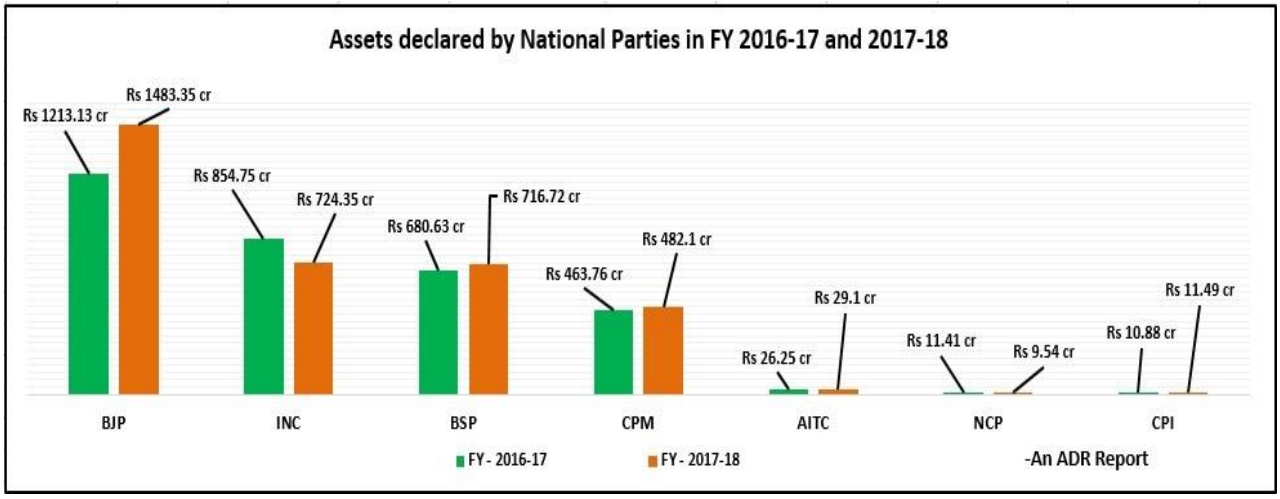

Chart: Total Assets declared by National Parties, FY 2016-17 and 2017-18

राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित देनदारियों: वि व 2016-17 से 2017-18

- सात राष्ट्रीय दलों ने वि व 2016-17 के दौरान कुल **रु 514.99 करोड़** की देनदारी घोषित की थी जो प्रति दल औसत **रु 73.57 करोड़** थी | **कांग्रेस** की देनदारी सबसे अधिक **रु 461.73 करोड़** और **बीजेपी** की **रु 20.03 करोड़** थी |
- वि व 2017-18 में सबसे अधिक देनदारी **कांग्रेस** ने **रु 324.20 करोड़** घोषित किया है इसके बाद **बीजेपी** ने **रु 21.38 करोड़** और **तृणमूल कांग्रेस** ने **रु 10.65 करोड़** की देनदारी अपने वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में घोषित किया है |

- वि व 2016-17 और 2017-18 के बीच, चार राष्ट्रीय दलों ने अपनी **देनदारियों** में कमी घोषित की है जिसमें **कांग्रेस** ने **रु 137.53 करोड़** की कमी, **सीपीएम** ने **रु 3.02 करोड़** की कमी, **एनसीपी** ने **रु 1.34 करोड़** की कमी तथा **तृणमूल कांग्रेस** ने **रु 55 लाख** की कमी देनदारियों में घोषित की है |
- बीजेपी, सीपीआई और बीएसपी ने वि व 2017-18 के लिए अपने देनदारियों की राशि में वृद्धि घोषित की है |

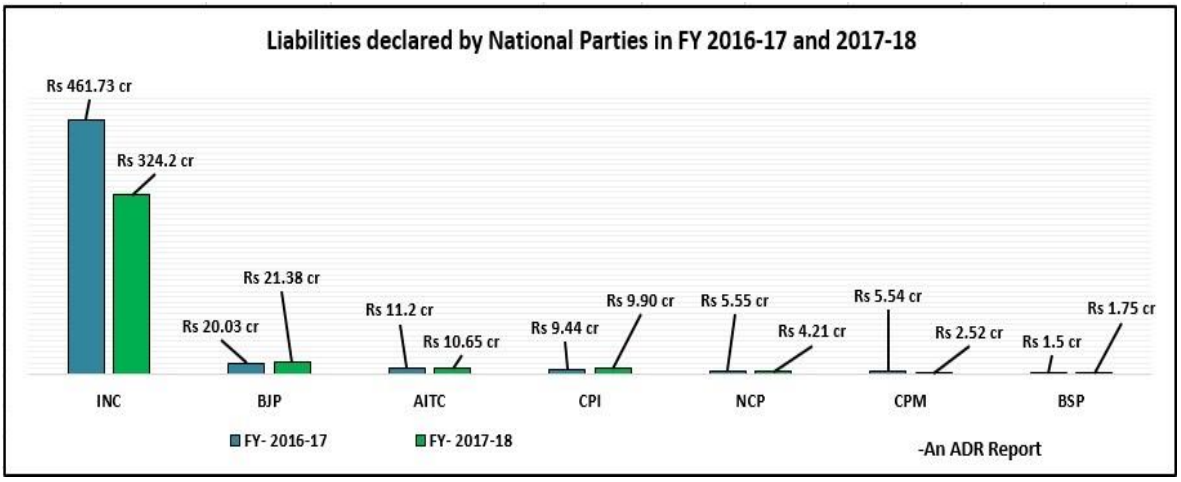

Chart: Total Liabilities declared by National Parties, FY 2016-17 & 2017-18

राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कैपिटल (पूंजी) : वि व 2016-17 से 2017-18

- राष्ट्रीय दलों का कैपिटल राशि वि व 2016-17 में **रु 2745.81 करोड़** था जो बढ़कर वि व 2017-18 में **रु 3082.04 करोड़** हो गया है |
- वि व 2017-18 में **बीजेपी** ने सबसे अधिक **कैपिटल राशि रु 1461.97 करोड़** उसके बाद **बसपा** ने **रु 714.97 करोड़** तथा **सीपीएम** ने **रु 479.58 करोड़** घोषित किया है |
- वि व 2016-17 के दौरान, **सीपीआई** ने सबसे कम **रु 1.43 करोड़** और **एनसीपी** ने **रु 5.86 करोड़** की पूँजी निधि घोषित की थी |

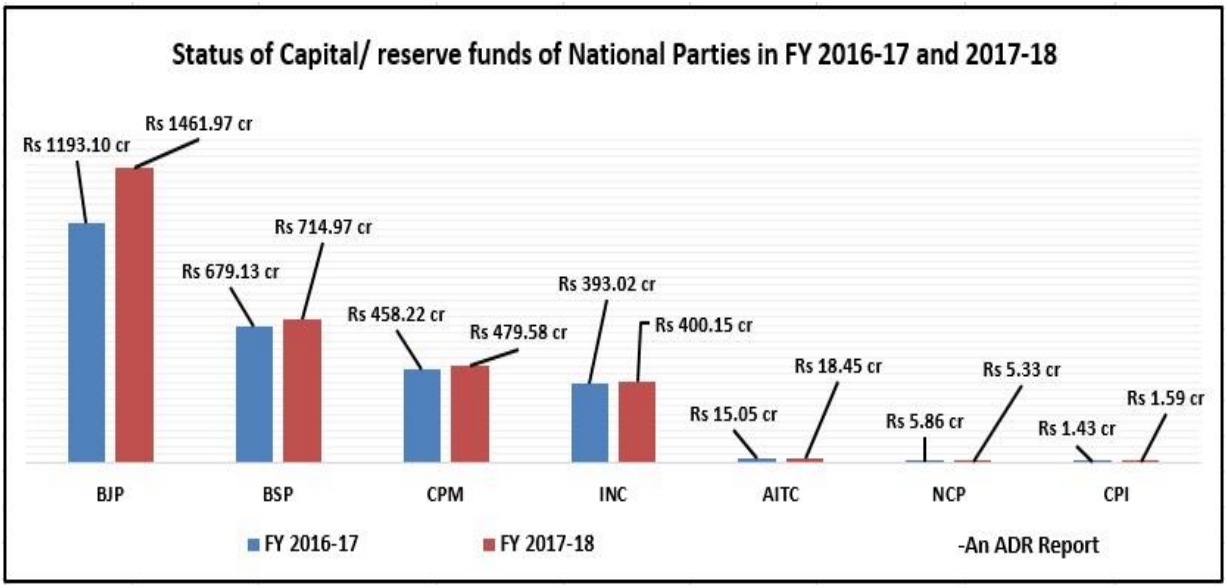

Chart: Status of capital/reserve funds of National Parties, FY 2016-17 & 2017-18

एडीआर के अवलोकन और सिफारिशें

अवलोकन

1. आईसीएआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, दलों ने जो ऋण वित्तीय संस्थाओं और बैंकों/एजेंसीयों से लिया है उसका विवरण ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है | इन दिशानिर्देशों में यह भी वर्णित किया है की जो ऋण दलों ने लिया/दिया है, उनके वापसी/भुगतान की समय-सीमा की जानकारी भी देना होता है (जैसे वापसी एक साल के अंतर्गत, एक से पांच साल के बीच या पांच साल के बाद)- **सभी राष्ट्रीय दलों ने यह जानकारी घोषित नहीं किया है** |
2. दलों को दान के रूप में प्राप्त अचल सम्पति का मूल लागत, अतिरिक्त या कटौती, निर्माण की लागत आदि का विवरण देना होता है | दलों से खरीदी गयी अचल सम्पति का भी विवरण देना चाहिए - **यह जानकारी सभी राष्ट्रीय दलों ने नहीं दी है** |
3. दलों द्वारा कुल ऋण का 10% या उससे अधिक नकद या अन्य प्रकार से दिया गया ऋण का ब्यौरा घोषित करना होता है और साथ ही साथ दी गयी राशि का वजह भी देना होता है - **सभी राष्ट्रीय दलों ने ये जानकारी घोषित नहीं की है** |
4. दलों के आय, व्यय और सम्पति में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने आईसीएआई को दिशानिर्देश तैयार करने की अनुरोध किया, लेकिन यह दिशानिर्देश कागज़ों तक ही सिमित रह गए | दलों ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में इन दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया है |
    - दानदाताओं के पूरा विवरण और उनके क्षेत्रवार वर्गीकरण (जैसे व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थानों /अन्य) का प्रकटीकरण - **राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित दान रिपोर्ट में वर्गीकरण नहीं किया गया है** |
    - कूपन का वर्गीकरण की जानकारी भी अलग अनुबंध के रूप में दलों को जमा करना चाहिए - **राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित दान रिपोर्ट में वर्गीकरण नहीं किया गया है** |

सिफारिशें

1. हर तीन साल में ऑडिटर का बदलाव :
    - अगस्त 29TH , 2013 में **Companies Act, 2013** में संशोधन लाया गया कि सब कंपनियों को हर पांच साल में अपने ऑडिटर बदलना अनिवार्य हैं | लेकिन यह नियम दलों पर लागू नहीं है | इसके कारण, जब एक ही फर्म/ऑडिटर दलों का ऑडिट कई सालों से करते हैं तो दलों के वित्तपोषण को अपारदर्शी करने में आसानी होती है |
    - हमारे देश में क़ानूनी तौर पर विदेशी ऑडिटिंग फर्म को भारत में संचालित करने की अनुमति नहीं है मगर भारतीय फर्म उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं | ऐसे साथ काम करने वाले भारतीय फर्मों को दलों का ऑडिटिंग नहीं करना चाहिए क्यूंकि ऐसा करने से विदेशी फर्म को भारतीय दलों की अंदरूनी एकाउंटिंग की जानकारी मिल सकती है |
    - राजनीतिक दलों के खातों को बनाये रखने के लिए, 255 वें कानून आयोग की रिपोर्ट ने यह सिफारिश की है कि **CAG** के पैनल से योग्य और अनुभवी चार्टेड अकाउंटेंट ही नियुक्त करें | वर्तमान में राजनीतिक दल स्वयं ही ऑडिटर का चयन करते हैं इसलिए इसे बदलने कि जरुरत है |
    - राजनीतिक दलों के आय और व्यय विवरण का मूल्यांकन शायद ही कभी किया जाता है| प्रस्तुत खातों कि प्रमाणिकता संदेहास्पद है | जब भी प्रमाणिकता सत्यापित नहीं होती हैं तो, जो भी ऑडिटर ने विवरण तैयार किया है उसे दंडित करना चाहिए | आईटीआर को आनलाइन जमा करने के साथ साथ दलों कि आय, व्यय, सम्पति और देनदारियों का विवरण भी

उपलब्ध कराना चाहिए | इस प्रकार, आईटी विभाग में राजनीतिक दलों कि वित्तीय संबंधी जानकारी पयार्प्त रूप से उपलब्ध होगी | राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वार्षिक जाँच होनी चाहिए |

- 170 वें कानून आयोग रिपोर्ट ने आर पी अधिनियम में धारा 78ए की प्रस्तावना कि सिफारिश की है जिसके दौरान समय पर खातों को न जमा करने वाले दोषी राजनीतिक दलों पर करवाई की जाएगी | इसे लागू करने की जरुरत है |

अस्वीकरण

रिपोर्ट में इस्तेमाल सभी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट में राजनीतिक दलों के पेज से लिया गया है https://eci.gov.in/candidate-political-parties/annual-audit-reports/annual-audit-reports/

रिपोर्ट बनाते समय सुचना का पूर्ण ध्यान रखा गया है | यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई त्रुटि पायी जाती है तो राजनीतिक दलों द्वारा जमा किये गए ऑडिट रिपोर्ट का विवरण ही ठीक माना जायेगा | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म, नेशनल इलेक्शन वाच और उनके स्वंयसेवक जिम्मेदार नही होंगे |

सम्पर्क विवरण

Media and Journalist Helpline:	**Maj. Gen Anil Verma (Retd.)**	**Prof Jagdeep Chhokar**	**Prof Trilochan Sastry**
+91 80103 94248,	Head - NEW/ADR	IIM Ahmedabad (Retd.)	IIM Bangalore
Email:	+91 11 4165 4200	Founder Member-	Founder Member- NEW/ADR
adr@adrindia.org	+91 88264 79910	NEW/ADR	+91 94483 53285
	anilverma@adrindia.org	+91 99996 20944	tsastry@gamil.com
		jchhokar@gmail.com	